



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082025-265336  
CG-DL-E-11082025-265336

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947

No. 493]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 536(अ).— केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009, (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ग), खंड (च), खंड (ज), खंड (झ) और खंड (ध) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (सामान्य) पांचवां संशोधन नियम, 2025 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 की आठवीं अनुसूची के भाग VI के भाग ग में, -

(i) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) एक पूर्ण थर्मामीटर में किसी भी सूचक यूनिट से जुड़ी एक तापमान अन्वेषी शलाका होती है।

(2) उपकरण निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार का होगा:-

(i) किसी सूचक यूनिट से जुड़ी हुई एक अर्न्तबदल तापमान अन्वेषी शलाका जो अन्वेषी शलाका को विशिष्ट प्रतिक्रिया के साथ अनुकूल है; या

(ii) स्थायी रूप से जुड़ी हुई एक तापमान अन्वेषी शलाका और एक सूचक यूनिट।”;

(ii) पैरा 5 के उपपैरा (1) में, खंड (i) में,-

(क) “36.9° सेल्सियस से 37.1° सेल्सियस तक तापमान पर” अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “37° सेल्सियस  $\pm 1^\circ$  सेल्सियस पर” अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।;

(ख) टिप्पणी (2) में, “5(2)(7)” अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “5(2)(i)” अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आई-9/23/2024-डब्ल्यूएंडएम]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 8 फरवरी, 2011 में संख्यांक सा.का.नि. 71(अ) तारीख 7 फरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 525(अ) तारीख 4 अगस्त, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

### (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2025

**G.S.R. 536(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (c), (f), (h), (i) and (s) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act 2009, (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (General) Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules shall be called the Legal Metrology (General) Fifth Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (General) Rules, 2011, in the EIGHTH SCHEDULE, in PART VI, in PART C, -

(i) for paragraph 3, the following shall be substituted, namely: -

“(1) A complete thermometer consists of a temperature probe connected to any indicating unit.

(2) The instrument shall be of one of the following types:-

(i) an interchangeable temperature probe connected to an indicating unit that is compatible with the characteristic response of the probe; or

(ii) a temperature probe and an indicating unit permanently connected.”;

(ii) in paragraph 5, in sub-paragraph (1), in clause (i),-

(a) for the words, figures and letters “maintained at a temperature range of 36.9°C to 37.1°C”, the words, figures and letters “at 37°C  $\pm 1^\circ$ C” shall be substituted;

(b) in Note (2), for the figures and brackets “5(2)(7)”, the figures and brackets “5(2)(i)” shall be substituted.

[F. No. I-9/23/2024-W&M]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 8<sup>th</sup> February, 2011 *vide* number G.S.R.71(E), dated the 7<sup>th</sup> February, 2011 and was last amended *vide* number G.S.R. 525(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2025.